पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 12057
Date / दिनांक: 29/07/2026

प्रेषित

श्री अजित नील कमल
डायरेक्टर
अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0
बी टोला, ईशाचक, भागलपुर, बिहार–812001
(प्रथम तल, ए0एन0एन0 टावर,आर.बी.एस.एस.एस.रोड
भीखनपुर, भागलपुर–812001)

निदेशक
मेसर्स अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0
आर0 बी0 सिंह, 2/33 प्रथम तल
एस0 बी0 आई0 कॉलोनी
पिलर नं0–07 के सामने, बेली रोड
जगदेव पथ, बी0 भी0 कॉलेज
पटना--800014

विषयः– अनुबंध सं0–32/CME/PMC/2021 को निरस्त (Terminate) करने के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–AICPL/PMC/0726/180, दिनांक–24.07.2026

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पटना नगर निगम के कार्यालय पत्रांक–17357, दिनांक–15.11.2024 द्वारा अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 के अनुबंध सं0 32/CME/PMC/2021 को निरस्त किया गया था। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 18882/2024 में दिनांक 11.12.2024 को अंतरिम स्थगन (Interim Suspension) आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुनः एजेंसी को कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी। परन्तु इसके बावजूद भी एजेन्सी की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। दिनांक– 02.06.2026 को किए गए स्थल निरीक्षण में पुनः शर्तो का गंभीर उल्लंघन और कुव्यवस्था पाई गई, इसके अतिरिक्त अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–13.06.2026 को दर्ज की गई ऑडिट आपत्ति में अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा निगम को (लगभग) 11,51,02,268/–रूपया की भारी राजस्व क्षति अंकित किया गया है। (अंकेक्षण आपत्ति की छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के अनुसार अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 का अनुबंध मात्र 10 माह शेष है, लेकिन दिनांक–25.07.2026 तक उक्त एजेन्सी द्वारा अनुबंध के शर्तों एवं इसके अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उक्त अनुबंध का मुख्य उदेश्य शहर में नागरिक सुविधा को विकसित करना, पार्किंग एरिया को सुव्यवस्थित करना एवं राजस्व संग्रहण को पारदर्शित बनाना था। एजेन्सी के इस कार्य प्रणाली से परिलक्षित हो रहा है कि पटना नगर निगम द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश के अनुपालन में कोई अभिरूचि नहीं है, साथ हीं उक्त एजेंसी द्वारा अनुबंध में वर्णित नागरिक सुविधा डेवलप करने एवं नगर निगम के राजस्व हित में कार्य नहीं किया जा रहा है। जिसके कारणों से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं अनुबंध के ताज़ा उल्लंघनों के संबंध में अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 को कार्यालय पत्रांक–11905, दिनांक–23.07.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसके आलोक में अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक–AICPL/PMC/0726/180, दिनांक–24.07.2026 द्वारा कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसपर बिन्दुवार विचार किया गया। समीक्षा उपरान्त एजेंसी द्वारा उठाये गये सभी तर्क आधार हीन, एकरारनामा की शर्तो से ध्यान भटकाने वाले और पूर्णतः अमान्य पाये गये है। समक्ष प्राधिकार के द्वारा आपके दावे का बिन्दुवार खंडन निम्नलिखित रूप से किया जाता हैः–

1. **माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश (CWJC No.-18882/2024) का खंडनः–** अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक–11.12.2024 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में आपको एकरारनामा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विधि सम्मत तरीके से कार्य का निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई सुधार न करते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से वर्त्तमान लापरवाहियों एवं दूषित मंशा को छिपाने का प्रयास मात्र है। न्यायालय का स्थगन आदेश आपके द्वारा किए जा रहे ताजा एकरारनामा उल्लंघनों, राजस्व क्षति और डिजिटल डिप्लॉयमेंट में विफलता पर लागू नहीं होता है, अतः निगम की कार्रवाई/स्पष्टीकरण पृच्छा न्यायिक प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं है।

2. **59% राजस्व हिस्सेदारी एवं वित्तीय समायोजन के दावे का खंडनः–** अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा वित्तीय हिस्सेदारी रोकने का लगाया गया आरोप (Counter-blast का दावा) पूरी तरह निराधार है।

एकरारनामा के अनुसार राजस्व का भुगतान एजेंसी द्वारा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम (फास्टैग, जीपीएस मैपिंग और ऑनलाइन डेटा लाइव) को पूर्ण रूप से लागू करने की शर्तों पर आधारित था। चूंकि एजेंसी ऑनलाइन डेटा पारदर्शिता और फास्टैग आधारित शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने में विफल रही, इसलिए बिना वित्तीय मिलान (Reconciliation) के किसी भी बकाया राशि का दावा स्वीकार्य नहीं है।

3. **पार्किंग स्थलों के डिमार्केशन (सीमांकन) व मानवीय त्रुटि के दावों का खंडनः–** कंकड़बाग, बॉकीपुर और अन्य अंचलों में मापी की भिन्नता को लेकर आपके द्वारा उठाए गये विवाद केवल जिम्मेदारी से बचने का बहाना हैं। संयुक्त मापी की रिर्पोट अंचल के राजस्व पदाधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी, जिसे केवल कार्य को विलम्बित करने के उदेश्य से एजेंसी द्वारा 'मानवीय त्रुटि' बताया जा रहा है।

4. **अतिक्रमण, नाबार्ड (NABARD) और मेट्रो कार्यों के बहानों का खंडनः–** एकरारनामा की शर्तों के अनुसार आवंटित स्थलों पर स्थानीय स्तर के व्यवधानों का प्रबंधन और सुचारू संचालन (Concessionaire)एजेंसी की जिम्मेदारी थी। अतिक्रमण या सरकारी निर्माण कार्यो का बहाना बनाकर अन्य चिन्हित और चालू पार्किंग क्षेत्रों से भी प्राप्त हो रहे राजस्व को एस्क्रो खाते में पारदर्शी तरीके से जमा न करना एजेंसी की वित्तीय बदनीयती को दर्शाता है।

5. **मौर्यलोक पास :– (9.97 रूपया करोड़ की राजस्व क्षति) के दावे का खंडनः–** निगम द्वारा जारी किए गए पास विधिक नियमों के अंतर्गत थे। इसके एवज में एकरारनामा की शर्तों के अनुसार उचित समय पर समायोजन किया जाना था।

6. **कमांड कंट्रोल रूम में तोड़फोड़ व उपकरणों के नुकसान के आरोपों का खंडनः–** मौर्यलोक कमांड कंट्रोल रूम में उपकरणों की तोड़फोड़ या गायब होने का निगम पर लगाया गया आरोप पूरी तरह आधारहीन है। निगम के अधिकारियों द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में केवल विधिक प्रक्रिया के तहत परिसर को अधिग्रहित किया गया था। सुरक्षा और इन्वेंट्री की विफलता के लिए एजेंसी स्वयं उत्तरदायी है।

7. **ऑनलाइन पार्किंग डेटा छुपानेः–** अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा पारदर्शिता का दावा पूरी तरह झूठ और रिकॉर्ड के विपरीत है। निगम द्वारा पत्रांक–14001, दिनांक–03.10.2025 एवं पत्रांक–12022, दिनांक–23.08.2025 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25, 2025–26 का ऑनलाइन कलेक्शन पोर्टल एक्सेस, लॉगिन आईडी–पासवर्ड और डेटा उपलब्ध कराएं। परन्तु आज तक अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा लॉगिन आईडी–पासवर्ड और डेटा साझा नहीं किया गया। अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा डेटा छुपाना एजेंसी द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी और राजस्व क्षति की संभावना परीलक्षित हो रही है।

8. **अतिक्रमण और कुप्रबंधन पर टालमटोल का रवैयाः–**पार्किंग स्थलों पर अवैध ठेले–खोमचे लगाने, सफाई व्यवस्था दुरूस्त न रखने तथा वाहनों के अव्यवस्थित संचालन के दायित्व से आप पूर्णतः मुकर रहे है। जबकि अनुबंध की शर्तो के अनुसार आवंटित क्षेत्र का सुचारू प्रबंधन एवं अतिक्रमण नियंत्रण आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

9. **कर्मचारियों की अनुपस्थितिः–**निरीक्षण के दौरान स्थल पर कर्मियों के गायब रहने के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत GPS युक्त फोटोग्राफ का तर्क अप्रासंगिक है, क्योंकि धरातल पर अव्यवस्था निरंतर बनी हुई है।

10. **स्मार्ट पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में पूर्ण विफलता (Scope of Work का उल्लंघन):–** अनुबंध के आर्टिकल 6(a)(I) और RFP के नियमों के तहत आवंटित क्षेत्र सौंपे जाने के 60 दिनों के भीतर स्थलों पर कैमरा, ऑटोमैटिक बूम बैरियर, फास्टैग, ऑनलाइन शुल्क संग्रहण प्रणाली, एलईडी साइनेज, और मोबाईल ऐप आधारित पार्किंग स्लॉट गाईडेंस सिस्टम लगाना अनिवार्य था। धरातल पर यह तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह गायब पाया गया, जो समझौते के आर्टिकल 22(A)(a) के तहत असंतोषजनक कार्य (Non-Performance) की श्रेणी में आता है।

11. **मैनुअल रसीद काटकर अवैध धन संचयः–** डिजिटल माध्यम से शुल्क संग्रहण न करके आपकी एजेंसी द्वारा जानबूझकर ''मैनुअल रसीद'' काटे जाना समझौते के तहत कपटपूर्ण व्यवहार (Fraudulent Practice) एवं अवैध धन संचयन को इंगित करना है।

दिनांक–13.11.2024 को ट्रांसपोर्ट नगर ट्रक स्टैंड पार्किंग स्थल में तत्कालीन प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि वाहनों के अलावा विभिन्न जगहों पर अवैध रूप से गिट्टी एवं बालू बेचने वालों को क्रय विक्रय हेतु भी जगह दिया गया है। उन गिट्टी एवं बालूवाले से पुछताछ में पाया गया कि गिट्टी एवं बालू रखने हेतु अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 के त्रिपुरारी एवं बाबा को मासिक किराया देते है। जिसकी रसीद उन्हें नहीं दी जाती है। इस संबंध में दिनांक–14.11.2024 को प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसकी प्राथमिकी सं0–985/2014 है।

12. **डेटा छुपाना एवं वित्तीय अपारदर्शिता (आर्टिकल 6(b)(II) का उल्लंघनः–** अनुबंध के आर्टिकल 6(b)(II) के तहत प्रत्येक 06 महीने की समाप्ति पर पार्किंग संचालन से संबंधित संपूर्ण डेटा हार्ड ड्राइव/पेनड्राईव में निगम का सौंपना अनिवार्य था। परन्तु आपकी कम्पनी द्वारा आज तक यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया, जो नियमानुकूल नहीं है।

13. **जुर्माना और बार–बार नियमों का उल्लंघनः–** नागरिकों और माननीय पार्षदों की शिकायतों के आधार पर जॉच में बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए तथा जनता से अधिक शुल्क वसूलने के साक्ष्य मिले। समक्षौते के अनुसार 10 से अधिक बार ऐसी गंभीर गड़बड़िया (Lapses) पाए जाने पर इकरारनामा तत्काल निरस्त करने का प्रावधान है।

14. **"ओपन स्ट्रीट पार्किंग" एवं "लागत और व्यय की अधिकता" के बहानों का खंडन–** स्पष्टीकरण में अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा कवर्ड पार्किंग न होने, ओपन स्ट्रीट पार्किंग के रख–रखाव में व्यय की अधिकता, स्टाफ के ईएस आई/पीएफ (ESI/PF) बिजली खर्च और वीआईपी (VIP) वाहनों का बहाना बनाकर राजस्व न देने की बात कही गयी है। जिसे निगम इस तर्क को सिरे से खारिज करता है क्योंकि अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा अनुबंध सं0 32/CME/PMC/2021 के आवंटन से पूर्व, अपने दर–वार्ता पत्र दिनांक–29.10.2021 में इन सभी 37 पार्किंग स्थलों की वित्तीय स्थिति ओपन स्ट्रीट पार्किंग के स्वरूप, कर्मियों के खर्च और भौगोलिक चुनौतियों को लिखित रूप से स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से निगम को 41% प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी देने की अंतिम सहमति दी थी। कार्य आवंटन के बाद हीं अपनी हीं लिखित सहमति और एकरारनामा की शर्तों से मुकर जाना एजेंसी की घोर व्यावसायिक बदनीयती को दर्शाता है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा निगम में समर्पित पत्र के अनुसार सभी पार्किंग स्थलों का स्मार्ट पार्किंग के रूप में विकसित करने के लिए कुल 13,70,58,873/–(तेरह करोड़ सत्तर लाख अन्ठावन हजार आठ सौ तिहत्तर) रूपये का पूंजीगत व्यय/निवेश (Capital Expenditure) करने की अनुमानित व्यय थी। जिसके अन्तर्गत बूम बैरियर, एएनपीआर (ANPR) कैमरे, पार्किंग ऑक्युपेंसी सेंसर, डिजिटल डिस्पले बोर्ड, लोकल सर्वर और मोबाइल एप्लीकेशन जैसी अत्याधुनिक प्रणालियॉ स्थापित की जानी थीं। वर्त्तमान में जॉचोपरान्त यह प्रमाणित हो चुका है कि उक्त एजेंसी द्वारा धरातल पर उक्त राशि का निवेश/खर्च नहीं किया गया। बुनियादी तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए बिना सीधे मैनुअल रसीद काटकर वसूली करना एकरारनामा और वित्तीय नियमों के विरूद्ध है, जो अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 के साथ किये गये एकरारनामा को रद्द करने का ठोस विधिक आधार है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा अनुबंध सं0 32/CME/ PMC/2021 की मूलभूत शर्तों (स्मार्ट पार्किंग मैपिंग, फास्टैग इनेबल्ड कलेक्शन और पारदर्शी राजस्व शेयरिंग) को लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई भी नया विधिक या व्यावहारिक आधार नहीं पाया गया।

अतः एकरारनामा में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको यह अंतिम कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाता है। आप पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नः–

- आपकी एजेंसी के साथ किए गए उक्त एकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द (Terminate) कर दिया जाए।
- एजेंसी द्वारा पटना नगर निगम में जमा की गयी संपूर्ण सुरक्षा राशि (EMD/ Security Deposite/ Performance Bank Guarantee) को राजस्व क्षति की भरपाई हेतु पूर्ण रूप से जब्त (Forfeit) कर लिया जाए।

उक्त निर्धारित समय–सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और निगम बिना किसी अग्रिम सूचना के एकतरफा दण्डात्मक एवं कानूनी कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

इसे अतिआवश्यक और अंतिम अवसर समझा जाए।

31/07/2026

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।